**प्रशासनिक अनुभाग, जनपद न्यायाधीश, सम्भल, स्थित चन्दौसी।**

प्रशा0 आदेश सं0–83/2021, दिनांक–01 मई, 2021,

**आदेश**

कोविड–19 के बढ़ते केसेज को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पत्र सं0–1945/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, दिनांकित–22.04.2021 के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को लॉक डाउन की घोषणा की गयी, के परिपेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जब तक की शासन का उपरोक्त निर्देश प्रभावी रहेगा तब तक जजशिप सम्भल स्थित चंदौसी के सभी न्यायालय प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को बंद रहेंगे तथा उक्त दिवस में न्यायालय परिसर/कार्यालय कक्ष आदि का सेनेटाइजेशन का कार्य सम्पादित कराया जायेगा, का निर्देश दिया गया था।

चूंकि उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0–775/2021-SeAx-3dated 29 April 2021 के माध्यम से दिनांक 03.05.2021 का लॉक डाउन की घोषणा की गयी है, के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने अपने पत्रांक 1947/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, दिनांकित–30.04.2021के द्वारा यह निर्देश जारी किया है कि उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त दिशा निर्देश को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय(अधिकरण सहित) दिनांक 03.05.2021 को बंद रहेंगे।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्रांक दिनांकित 30.04.2021 के माध्यम से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुपालनार्थ जजशिप सम्भल स्थित चंदौसी के मुख्यालय एवं बाह्य न्यायालय सम्भल एवं बाह्य न्यायालय गुन्नौर के समस्त न्यायालय दिनांक 03.05.2.21 को बंद रहेंगे।

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, सम्भल स्थित चंदौसी एवं जनपद न्यायालय परिसर में स्थित अन्य सभी न्यायालयों तथा बाह्य न्यायालय गुन्नौर एवं बाह्य न्यायालय सम्भल में दिनांक 03.05.2021 को नियत जमानत प्रार्थना–पत्रों एवं अन्य आवश्यक प्रार्थना–पत्रों की पत्रावलियों में सामान्य तिथि 07.05.2021 व दिनांक 03.05.2021 को नियत सिविल एवं फौजदारी प्रकृति के सभी वादों में सामान्य तिथि 18.05.2021 नियत की जाती है।

दिनांक 03.05.2021 को नवीन रिमांड से संबंधित कार्य हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल स्थित चंदौसी पृथक से आदेश पारित करेंगे।

इस आदेश की एक प्रतिलिपि जनपद न्यायालय की ऑफिसियल वेबसाईट पर अपलोड की जाये तथा एक प्रतिलिपि जिला सूचना अधिकारी, सम्भल को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि समस्त समाचार–पत्रों में इस आदेश का प्रकाशन करायें।

प्रभारी जनपद न्यायाधीश, 01/5/2021
सम्भल स्थित चंदौसी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय एवं अन्य समस्त न्यायिक अधिकारीगण,
2. जिलाधिकारी, सम्भल,
3. पुलिस अधीक्षक, सम्भल,
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल,
5. अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद,
6. संयुक्त निदेशक अभियोजन, सम्भल,
7. जनपद सम्भल की सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्षगण को,
8. जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी), सम्भल।

प्रभारी जनपद न्यायाधीश, 01/5/2021
सम्भल स्थित चंदौसी।